Title: Reg: Need to enhance the amount of pension under EPS-95.

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव) : ईपीएस-95 पेंशनार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है।देशभर के 75 लाख से ज़्यादा ईपीएस-95 पेंन्शनरों के लिए वर्तमान में दी जानेवाली पेंन्शन राशि बहुत ही कम है जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते है। 2018 में श्रम संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि ईपीएस-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।इसके अतिरिक्त 2013 में कोशियारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है।मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ईपीएस-95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कारवाई करे और इसके लिए केंद्र सरकार EPS-95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तन करके EPS-95 पेंशनरों और उनके परिवारों को 9000-रुपये प्रतिमाह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए जिससे इन पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।